रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 533] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 30, 2008/आश्विन 8, 1930
No. 533] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 30, 2008/ASVINA 8, 1930

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2008

सा.का.नि. 700(अ).—केन्द्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 की उप-धारा (2) के खंड (द) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विद्युत अपील अधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2004 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत अपील अधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन नियम, 2008 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. विद्युत अपील अधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2004 के नियम 9 में, "विद्युत मंत्रालय के भारसाधक मंत्री के समक्ष" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 46/7/2007-आर एंड आर]
मलय श्रीवास्तव, निदेशक

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र में, तारीख 13 अप्रैल, 2004 को सा.का.नि. 259(अ) तारीख 13 अप्रैल, 2004 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2008

G.S.R. 700(E).—In exercise of the powers conferred by clause (r) of sub-section (2) of Section 176 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Appellate Tribunal for Electricity (Salaries, Allowances and other conditions of service of Chairperson and Members) Rules, 2004, namely :—

1. (1) These rules may be called the Appellate Tribunal for Electricity (Salaries, Allowances and other conditions of service of Chairperson and Members) (Amendment) Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Appellate Tribunal for Electricity (Salaries, Allowances and other conditions of service of Chairperson and Members) Rules, 2004, in Rule 9, the words "before the Minister in charge of the Ministry of Power" shall be omitted.

[F. No. 46/7/2007-R&R]
MALAY SHRIVASTAVA, Director

Note : The Principal Rules were published *vide* G.S.R. 259(E), dated the 13th April, 2004 in the Gazette of India dated the 13th April, 2004.

3787 GI/2008

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.